

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 308]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई 2021—श्रावण 8, शक 1943

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2021

क्र. एफ-30-08-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-30-7-99-दस-3, दिनांक 4 अक्टूबर 2010 एवं 13 मई 2021 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, राज्य के भीतर अथवा बाहर वन उपज (खनिज को छोड़कर) की मात्रा अनुसार दरें निर्धारित कर परिवहन के लिये परिवहन अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए निम्नानुसार शुल्क विहित करती है:—

वनोपज की मात्रा (खनिज को छोड़कर)	दर (रु. में)
(1)	(2)
(अ) ट्रक द्वारा परिवहन हेतु—	
1. दो घनमीटर तक	400/-
2. 2 से 5 घनमीटर	600/-
3. 5 से 8 घनमीटर	800/-
4. 8 घनमीटर से अधिक	800/- +100/- प्रत्येक अतिरिक्त घनमीटर हेतु (यदि मात्रा एक घनमीटर से कम है तब उसे एक घनमीटर के समतुल्य माना जाएगा.)
(ब) ट्रेक्टर-ट्रॉली द्वारा परिवहन हेतु अधिकतम 4 घनमीटर	400/-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2021

क्र. एफ-30-08-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-08-2002-दस-3, दिनांक 30 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरिरी, पदेन सचिव.

Bhopal, the 30th July 2021

No. F-30-08-2002-X-3.—In exercise of the powers conferred by Rule 5 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000, No. F-30-7-99-X-3 and in suppression of previous notification published on 4th October, 2010 and 13th May 2021, the State Government hereby, prescribes the following fee to be recovered for issue of Transit Pass for quantity of forest produce (Except minerals) within or outside the State, as follows:—

Quantity of Forest Produce (Except minerals) (1)	Amount (in Rs.) (2)
(A) For transport by Truck—	
1. Upto 2 cubic meter	400/-
2. 2 to 5 cubic meter	600/-
3. 5 to 8 cubic meter	800/-
4. Above 8 cubic meter	800/-+100/- for each additional cubic meter (if the quantity is less than 1 cubic meter, then it shall be presumed to be equivalent to 1 cubic meter)
(B) For transport by tractor trolley Maximum 4 cubic meter	400/-

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.